

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना**

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारो/ फर्मो जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार नीचे वर्णित 01 विकास कार्य को करने हेतु निविदा फार्म/ बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु मुहरबन्द अल्पकालीन ई-निविदा दिनांक 17.06.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे तक [uktenders.gov.in](http://uktenders.gov.in) की बैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते है । प्राप्त ई निविदा को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

इच्छुक ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0 1180/- (जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधीक्षण अभियन्ता,म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि को 2.00 बजे से पूर्व प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अन्य भाते निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी । जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी।

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन राशि (लाख में )	धरोहर राशि रू0	समय माह में	निविदा की वैधता
1	सहस्त्रधारा रोड स्थित एम0डी0डी0ए0 की आवासीय कालोनी में भवन संख्या एम-36 के मरम्मत /रेनोवेशन का कार्य	5.33	16,000.00	03	90 दिन

अधीक्षण अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून ।

**प्रतिलिपि:-**

- 1-सचिव,म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
- 2-मुख्य लेखाधिकारी म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून ।
- 3-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिशद /सिचाई विभाग के नोटिसय बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 4-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 5-सिस्टम एडमिनेस्ट्रेटर को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 6-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 7-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

अधीक्षण अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून ।